राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / फार्मासिस्ट / नियुक्ति / 2013 / 304 दिनांकः 08-08-2013

– : आदेश : –

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा अधिनियम 1965 के तहत फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 26.11.11 यथा संशोधित 30.12.11 एवं 23.02.12 को विज्ञप्तियों जारी कर 1478 पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की गई। ऑनलाईन परीक्षा के प्राप्तांक एवं अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त बोनस अंक के आधार पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा परिणाम जारी किया गया।

विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 576 दिनांक 21.07.12 एवं आदेश क्रमांक 894–915 दिनांक 13.09.12 के द्वारा कुल (1343+24) 1367 अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8582/2012 नवीन जैन एवं बनाम राज्य सरकार एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नं0 11116/2012 श्रीमती आराधना अग्रवाल बनाम राज्य सरकार में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन नियुक्ति आदेश जारी किये गये है।

उक्त चयन आदेशों की निरन्तरता में निदेशालय के आदेश दिनांक 24.09.12 के द्वारा 5 एवं दिनांक 09.01.12 के द्वारा 29 अभ्यर्थियों (5+29 कुल 34) का चयन किया गया।

उपरोक्तानुसार जारी चयन सूचियों के आधार पर 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8582/2012 नवीन जैन एवं अन्य बनाम राज्य सरकार तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11116/2012 श्रीमती आराधना अग्रवाल बनाम सरकार में दिनांक 15.03.13 को पारित निर्णय के विरूद्ध DB Appeal में होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में इस भर्ती के संदर्भ में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित निर्णयों के अध्यधीन रहते हुये परिशिष्ट 'अ' के अनुसार फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सा संस्थान में पदस्थापन किया जाता है फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थापन हेतु सूची "परिशिष्ठ–अ" पर संलग्न है।

इन अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट के पद की वेतन श्रृंखला 9300–24800 ग्रेड–पे 3200 में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ–11 (7) एफ.डी.(रूल्स)/08 दिनांक 12.09.2008 के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रशासनिक अधिकारी के अधीन किया जाता है।

परिवीक्षा काल में अन्य सुविधाऐं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियम आदि तथा इनमें समय समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। परिवीक्षा काल संतोषजनक होने के उपरान्त ही इन्हें इस पद की नियमित वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ–13 (1)/एफ.डी./रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार इन नवनियुक्त फार्मासिस्ट पर अंशदायी पेन्शन योजना परिवीक्षा काल पूर्ण होने के पश्चात लागू होगी।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके सैकेण्डरी /हाईस्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जावेगी।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा स्त्यापित शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति ओदश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे, साथ ही दोषी के विरूद्ध

न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र आदि संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थियों का लौटाया जावेगा। अन्य परिस्थितियों में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेगें मूल दस्तावेजो के सत्यापन होने के उपरान्त ही स्थाईकरण बाबत विचार किया जा सकेगा।

इन अभ्यर्थियों को **दिनांक 07.09.2013** तक संबधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी के अधीन कार्यग्रहण करना होगा।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार "परिशिष्ठ—अ"

(के0एल0 स्वामी)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/फार्मासिस्ट/नियुक्ति/2013/304 दिनांकः 08-08-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. कन्वीनियर फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा—2011 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, (जनस्वास्थ्य/आर.सी.एच./एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
12. उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
14. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
15. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन—
16. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
17. समस्त संबधित प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनिकी, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्रों के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से आपके स्वयं के स्तर पर परीक्षण किया जायेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रलेख जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन/चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करावें। यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज के पश्चात फर्जी, परिवर्तित, कूटरचित पाया जावे तो उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को दी जावे, ताकि प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सके। इसके अतिरिक्त विशेषरूप से निम्न समान्य निर्देशों की पालना/दस्तावेजों की जांच गहनता से किया जाना सुनिश्चित करें:—
   (A) राजस्थान फार्मेसी कौंसिल द्वारा जारी नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
   (B) यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य है तो उसका प्रमाण पत्र नॉनक्रिमिलियर का होना अनिवार्य है।

(C) यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग का सदस्य है तो उसका जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहियें, जो छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहियें।

(D) यदि कोई महिला अभ्यर्थी विधवा वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (अथवा सपथ पत्र) एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(E) यदि कोई महिला अभ्यर्थी परित्यक्ता वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा विवाह पंजीयन एवं सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(F) यदि कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित है तो उसके द्वारा सेना से डिसचार्ज सर्टिफिकेट एवं संबंधित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(G) यदि कोई अभ्यर्थी विकलांग वर्ग मे चयनित है तो उसके द्वारा वन लैग(ओ. एल.)/बोथ लैग (बी.एल) कैटैगिरी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(H) उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी Eligibility के संबध में पूर्ण आश्वस्त होने के उपरान्त ही उसे कार्यग्रहण करवाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी की Eligibility के संबंध में कोई संदेह हो तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

18. रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौंसिल, जयपुर।

19. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करे।

20. आदेश/निजी पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए
राजस्थान जयपुर

परिशिष्ट–'अ'

Appointment Order For Posting of Pharmacist

S.No.	Rank	Candidate name	Gender	Category	Subcategory	Date of Birth	Against	Home District	Place of Posting
1	802	Rekha Bisnoi	Female	OBC		7-Apr-88	Gen-F	Sriganga Nagar	Under CMHO, Sriganga Nagar
2	866	Divya Kashyap	Female	OBC		25-Sep-88	Gen-F	Jhalawar	Under CMHO Jhalawar
3	2141	Priyanka Prihar	Female	OBC		24-Apr-88	Gen-F	Jodhpur	Under CMHO. Jodhpur
4	2523	Shanthi D	Female	OBC		26-Dec-86	OBC-F	Jodhpur	Under CMHO, Jodhpur
5	3600	Sonu Choudhary	Female	OBC		31-Mar-87	OBC-F	Bikaner	Under CMHO, Bikaner
6	4115	Sandeep Kumari	Female	OBC		21-Jul-86	OBC-F	Jhunjhunu	Under CMHO, Jhunjhunu
7	4142	Sunita Kumari	Female	OBC		25-Jun-89	OBC-F	Jhunjhunu	Under CMHO, Jhunjhunu
8	4545	Chhinderjeet Kaur	Female	OBC		25-Jun-85	OBC-F	Sriganga Nagar	Under CMHO. Sriganga Nagar
9	4801	Laxmi Marotia	Female	OBC		8-May-77	OBC-F	Jaipur	Under CMHO, Jaipur -I
10	4816	Shalini	Female	SC		13-Sep-83	SC-F	Jaipur	Under CMHO, Jaipur -II
14	4953-A	Chitra Singh Choudhary	Female	OBC		28-Oct-89	OBC-F	Nagaur	Under CMHO, Nagaur
11	4960	Komal kalan	Female	OBC		4-Jun-87	OBC-F	Dungarpur	Under CMHO, Dungarpur
12	5254	Priyanka Naneriya	Female	SC	SC (TSP)	16-Sep-88	SC-F	Kota	Under CMHO, Kota
13	5443	Poonam	Female	OBC		8-Sep-82	OBC-F	Sriganga Nagar	Under CMHO, Sriganga Nagar

Additional Director (Admn.)
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur